

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,  
अपर मुख्य सचिव,  
वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/  
प्रमुख सचिव/सचिव,  
उ0प्र0 शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उ0प्र0।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 01 सितम्बर, 2022

विषय : वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-67/2016/ वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22.12.2016 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत अनुमन्य अगली वेतन वृद्धि की तिथि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.11.2019 के क्रम में उपर्युक्त विषयांकित शासनादेश संख्या-3/2020/वे0आ0-2-258/दस-2020-04(एम)/2016, दिनांक 13.04.2020 निर्गत किया गया है, जिसके प्रस्तर-3 में वेतन निर्धारण हेतु सरकारी सेवकों को अपना विकल्प देने का प्राविधान किया गया है। भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.11.2019 में सरकारी सेवकों को वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रयोग करने के लिये जो समय सीमा निर्धारित की थी उसमें छूट देने हेतु पुनर्विचार करते हुए अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15.04.2021 से सरकारी सेवकों को विकल्प का प्रयोग/पुनः प्रयोग करने का एक और अवसर प्रदान किया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गयी है कि सभी सरकारी सेवकों को इस आदेश के जारी होने की तिथि से 03 माह के भीतर उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 13.04.2020 के प्रस्तर-3 में प्राविधानित वेतन निर्धारण के लिये विकल्प के प्रयोग/पुनः प्रयोग का एक और अवसर प्रदान किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 13.04.2020 की अन्य सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्रशान्त त्रिवेदी,  
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-10/2022-वे0आ0-2-437(1)/दस-2022, तद्दिनांक।**

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (ऑडिट)-1 एवं 2, 30प्र0, इलाहाबाद।
  - (2) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदया, 30प्र0 शासन।
  - (3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, 30प्र0 शासन।
  - (4) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
  - (5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 शासन।
  - (6) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, 30प्र0।
  - (7) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, 30प्र0।
  - (8) 30प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
  - (9) इरला चेक अनुभाग, 30प्र0 शासन।
  - (10) गार्ड फाइल।

सरयू प्रसाद मिश्र,  
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।